राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या............2154 / 2011.............................. जिला ....अलवर...

उनवान : वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–प्रथम, भिवाड़ी
बनाम
मैसर्स सलूजा मिनरल्स प्रा0 लिमिटेड, बहरोड़, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य**	
23 / 11 / 2016	अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर के अपील संख्या 93 / सीएसटी / 2009–10 / उपा / अपील्स / अलवर में पारित किये गये आदेश दिनांक 04.01.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर विभाग, विशेष वृत, भिवाड़ी के आदेश दिनांक 25.03.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए, प्रकरण पुनः कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश को 5 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। वेट अधिनियम की धारा 24(6) के अनुसार प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी को दो वर्ष की अवधि में पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किया जाना बाध्यकारी है। हस्तगत प्रकरण में उक्त अवधि पूर्ण हो चुकी है। किन्तु अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में कोई कर निर्धारण आदेश पारित किया जाना ना तो पत्रावली से प्रकट होता है एवं ना ही बहस के दौरान अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा इस सम्बन्ध में कोई संतोषजनक उत्तर प्रदान किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में राजस्थान कर बोर्ड के स्तर पर प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं रहता है। आदेश जारी हो। **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** **अध्यक्ष** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर**	